अध्याय - 2
भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली

हम पढ़ेंगे

13.1 भारतीय प्रशासन व्यवस्था
13.2 संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण
13.3 प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन
13.4 सरकार के अंग : व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
13.5 राज्य का प्रशासन : विधान मण्डल व विधान सभा
13.6 स्थानीय स्वशासन

भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्रीय पद्धत्ति के अन्तर्गत संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र की कार्यपालिका संसद के प्रति तथा राज्यों की कार्यपालिकाएँ विधान मण्डलों के प्रति उत्तरदायी बनाई गई हैं।

शासन शक्ति प्रयोग की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है; एक नाममात्र की कार्यपालिका तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें, एकात्मक परिसंघीय मिश्रण है। इसके अनुसार पूरे देश की एक ही सरकार होती है जिसे संघ अथवा केन्द्रीय सरकार कहते हैं साथ ही प्रत्येक इकाई अथवा राज्य की भी एक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं कार्यक्षेत्रों का बंटवारा होता है।

स्वाधीनता के उपरांत हमने अपने देश में लोकतंत्र, विकास एवं जनकल्याण की नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को अपनाया है। प्रशासन का उद्देश्य भारतीय प्रजाजन को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। संविधान द्वारा नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है।

13.1 भारतीय प्रशासन व्यवस्था

भारतीय प्रशासन व्यवस्था का स्वरुप इस प्रकार है -

1. केन्द्रीय शासन
2. प्रांतीय शासन
3. स्थानीय स्वशासन

केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद्, भारतीय संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय आदि आते हैं। प्रांतीय शासन के अन्तर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद्, विधानमण्डल एवं उच्चन्यायालय आते हैं। स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिकाएँ, जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें तथा ग्राम पंचायतें आती हैं। प्रशासन की दृष्टि से सम्पूर्ण देश को प्रदेशों, संभागों, जिलों, तहसीलों तथा ग्राम इकाईयों में बाँटा गया है। इस तरह प्रशासन तंत्र उच्चस्तर से निचले स्तर तक परस्पर जुड़ा हुआ है।

लोकतंत्रीय पद्धति को अधिक उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाने के लिए सत्ता को स्थानीय एवं आंचलिक स्तर पर जोड़ा गया है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की प्रत्येक इकाई अपने स्तर पर सौपे गए कार्यों को सम्पादित करती है। इन इकाइयों से जन भावनाओं के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

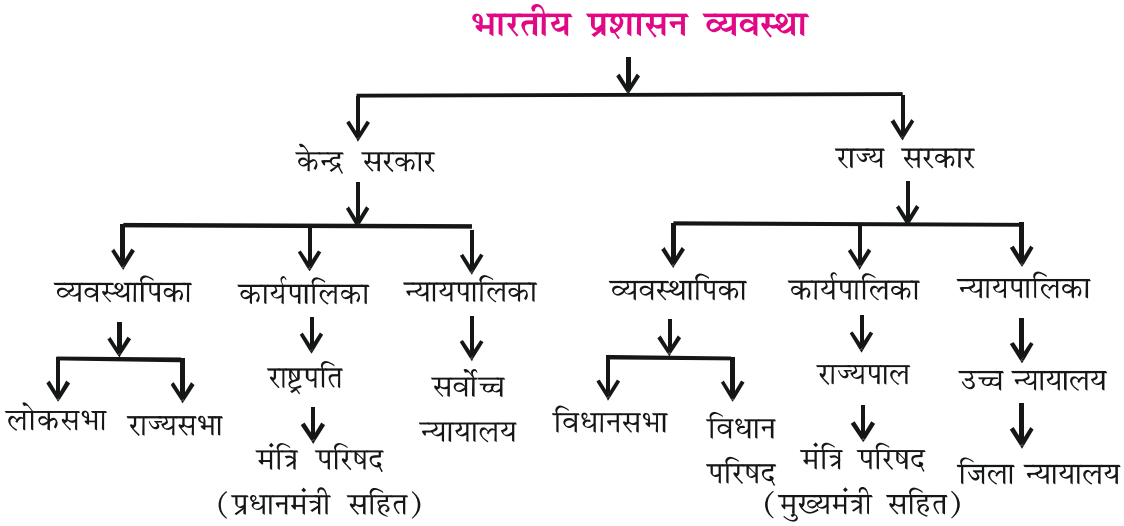

13.2 संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण

शासन की वह प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार अर्थात् संघ की सरकार और प्रान्तीय राज्य सरकारों के मध्य विभाजित कर दी जाती है। दोनों सरकारों की शक्ति का स्त्रोत संविधान होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्राय: कठोर होती है। संविधान का लिखित एवं कठोर होना आवश्यक है। शासन की यह प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली होती है।

संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण

1. **दोहरी सरकारें**
2. **शक्तियों का विभाजन**
3. **संविधान का लिखित स्वरुप एवं इसकी सर्वोच्चता**
4. **न्यायपालिका की सर्वोच्चता**
5. **द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका**

संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। संघात्मक शासन के लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद हैं। संघात्मक पद्धति में संघ और राज्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों (शक्तियों) का उपयोग अपनी-अपनी सीमा में करते है। वर्तमान में भारतीय संघीय व्यवस्था में 28 राज्य तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेश (संघीय क्षेत्र) सम्मिलित है। भारतीय शासन प्रणाली के संघात्मक लक्षण निम्नानुसार है -

1. **दोहरी सरकारें** - भारत में संघ और राज्य दोनों में अलग सरकारें होती हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् तथा जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका (संसद) है। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है। जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद तथा जनप्रतिनिधियों की विधानसभा है। यह व्यवस्था दोहरी शासन प्रणाली कहलाती है।

2. **शक्तियों का विभाजन** - संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। उसके अनुसार संघ और राज्य सरकारें उनकों सौपे गए विषयों पर कानून बनाती हैं एवं प्रशासन करती है। संविधान में शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है -

संघीय सूची - राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय संघीय सूची में है। इनमें प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, सेना, वित्त, संचार, रेल्वे आदि प्रमुख है।

राज्यसूची - क्षेत्रीय महत्व के 62 विषय राज्य सूची में है। इस सूची में न्याय, पुलिस, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण आदि विषय सम्मिलित है।

समवर्ती सूची - इस सूची में मूलत: 47 विषय रखे गए थे किन्तु 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची में चार

विषय एवं एक अन्य विषय जोड़कर अब 52 विषय हो गए है। विवाह, विवाह-विच्छेद, न्यास और न्यासी, वन, वन्य-जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, श्रमिक कल्याण आदि विषय सम्मिलित है – समवर्ती सूची पर केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, किन्तु यदि किसी विषय पर संघ ने कानून बना दिया है तो संघ का कानून प्रभावशील होगा।

अवशिष्ट शक्तियाँ – इन तीनों सूचियों में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि कोई विषय बचता है तो ऐसे समस्त विषय संघ सरकार के पास रहेंगे।

3. **संविधान का लिखित स्वरुप एवं उसकी सर्वोच्चता** – संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का लेखबद्ध होना आवश्यक है। संविधान देश का आधारभूत एवं सर्वोच्च कानून होता है। इस प्रणाली में संघीय एवं प्रांतीय सरकारें संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करती हैं। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है।

4. **न्यायपालिका की सर्वोच्चता** – संघात्मक शासन में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं सर्वोच्चता आवश्यक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। संविधान के प्रतिकूल बनाए गए कानूनों एवं लिए गए निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान संविधान में किए गए है।

5. **द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका** – संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरुप भारतीय व्यवस्थापिका (संसद) के दो सदन हैं। प्रथम सदन लोकसभा तथा द्वितीय सदन राज्य सभा कहलाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है।

13.3 प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन

भारतीय संघात्मक प्रणाली में संघात्मक व्यवस्था के अनेक लक्षण हैं फिर भी उसमें कुछ लक्षण संघ को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्ति विभाजन से यह स्पष्ट है जहाँ महत्वपूर्ण विषयों पर तो उसे शक्तियाँ दी ही गई है, साथ ही समवर्ती सूची के विषयों पर भी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रधानता दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन विषयों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया हैं वे सब विषय संघ सरकार को सौपें गए हैं। संघ की ये शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानी जाती हैं।

संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किए जाने के बाद भी प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संघ और राज्यों के मध्य सहयोग हो। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण एवं प्रभाव रखती है।

1. **राज्य सरकारों को निर्देश** – राष्ट्रीय महत्व के विषयों में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। इन निर्देशों का पालन राज्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से राजनयिक सम्पर्क आदि इस श्रेणी में आते हैं।

2. **संघीय कार्यो को राज्य सरकारों को सौंपना** – संघीय कार्यपालिका कुछ कार्य राज्य सरकारों को सौंप सकती है। किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के पालन के लिए संघ राज्यों को आदेश दे सकता है। रेल्वे मार्गों की सुरक्षा आदि विषयों से सम्बन्धित ऐसे ही आदेश दिए जा सकते हैं।

3. **अखिल भारतीय सेवाएँ** – भारत में कुछ सेवाएँ अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, जैसे-आई.ए.एस (भारतीय प्रशासनिक सेवा), आई.पी.एस. (भारतीय पुलिस सेवा) आदि। इन सेवाओं के आधिकारियों का चयन संघीय लोक

सेवा आयोग करता है। इन अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है। अपने संम्बन्धित राज्यों में सेवा करने के अतिरिक्त ये अधिकारी समय-समय पर केन्द्र में भी सेवा करते हैं। इस प्रकार संघ सरकार राज्यों पर अपना प्रभाव रखती है।

4. **आर्थिक सहायता** – राज्य सरकार को जो राशि करों से प्राप्त होती हैं वह अपर्याप्त होती है। आय के महत्वपूर्ण साधन केन्द्र के पास है। केन्द्र सरकार राज्यों को समय-समय पर अनुदान देती है। इस सहायता के माध्यम से केन्द्र राज्यों पर अपना प्रभाव रखता है।

5. **संसद के अधिकार** – संसद को यह अधिकार है, कि वह कानून बनाकर एक राज्य को विभाजित कर दे या दो राज्यों या उनके भाग को मिलाकर एक नया राज्य बना दे। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है।

6. **राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना** – राज्यों को यह अधिकार है, कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके तथा प्रशासन कर सके परन्तु राज्यों का यह अधिकार अन्तिम नहीं है। निम्न परिस्थितियों में संसद, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

(अ) **राज्य सभा** द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को **राष्ट्रीय महत्व** का विषय घोषित करने पर।

(ब) राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर।

(स) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की विधायी शक्ति संसद को सौंपने पर।

(द) यदि राज्य विधान मण्डल स्वयं इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि किसी विषय विशेष पर संसद कानून बनाए।

भारतीय संविधान के उपरोक्त लक्षण यह दर्शाते हैं कि संघ सरकार अधिक शक्तिशाली है। केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले विषयों को यद्यपि तीन सूचियों में बाँटा गया है किन्तु जिन विषयों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया हैं वह सब संघ सरकार के अधीन है। यह शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानी जाती है।

13.4 सरकार के अंग

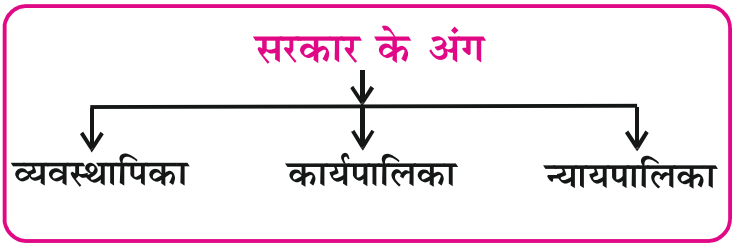

सरकार के तीन अंग हैं। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है व्यवस्थापिका, वह अंग जो कानूनों को लागू करता और उनका पालन कराता है कार्यपालिका तथा वह अंग जो अवहेलना करने वालों को दण्ड देने का कार्य करता है न्यायपालिका कहलाता है – ये तीनों अंग मिलकर सरकार कहलाते हैं।

व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिका एकसदनीय और द्विसदनीय दोनों तरह की होती हैं। जहाँ दो सदन होते हैं वहाँ प्रथम सदन को निम्नसदन और द्वितीय सदन को उच्चसदन कहते हैं। प्रत्येक राज्य में व्यवस्थापिका अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

1. **कानून का निर्माण** – देश के शासन को संचालित करने के लिए कानूनों के निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है।

2. **संविधान संशोधन** – संविधान में अगर परिवर्तन करना आवश्यक होता है, तो यह कार्य संविधान

द्वारा व्यवस्थापिका को दिया गया है। व्यवस्थापिका आवश्यक संशोधन करने का कार्य करती है।

व्यवस्थापिका के कार्य

- कानून का निर्माण
- संविधान संशोधन
- प्रशासनिक कार्य
- राज्य व शासन की नीति का निर्धारण
- वित्त सम्बन्धी कार्य
- विचार विमर्श का कार्य
- न्यायिक कार्य
- समिति और आयोगों का गठन
- विदेशनीति पर नियंत्रण
- निर्वाचन सम्बन्धी कार्य

3. **प्रशासनिक कार्य** – व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसदात्मक, शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस तरह व्यवस्थापिका प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करती है।

4. **राज्य व शासन की नीति का निर्धारण** – राज्य को दिशा देने एवं नीति निर्धारण का कार्य व्यवस्थापिका करती है। कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीति को व्यवस्थापिका ही स्वीकृति प्रदान करती है।

5. **वित्त सम्बन्धी कार्य** – सरकार द्वारा निर्धारित करों को लगाने और करों को कम अथवा समाप्त करने तथा शासन के व्ययों को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इस तरह वह जनता से प्राप्त धन (वित्त) पर नियंत्रण रखती है।

6. **विचार विमर्श का कार्य** – सदन में प्रस्तुत विषयों एवं विविध समस्याओं पर समग्र दृष्टिकोण से सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती है। कानून बनाने से पहले हर संबंधित पक्ष पर विस्तार से चर्चा कर ली जाती है जिससे विधि का निर्माण पूर्णतया जनता के हित में हो।

7. **न्यायिक कार्य** – कई देशों में व्यवस्थापिका न्याय सम्बन्धी कार्य भी करती है। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका ही महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग का निर्णय वहाँ की व्यवस्थापिका करती है।

8. **समिति और आयोगों का गठन** – जिन विषयों पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है उन पर विचार करने के लिए विविध समितियों और आयोगों का गठन एवं अधिकारी की नियुक्ति करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है।

9. **विदेश नीति पर नियंत्रण** – अनेक देशों में व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना संधियाँ और समझौतों को लागू नहीं किया जा सकता। कई देशों में दूसरे देश से युद्ध करने के लिए भी व्यवस्थापिका की स्वीकृति लेनी होती है।

10. **निर्वाचन सम्बन्धी कार्य** – भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनेक देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन सम्बन्धी कार्य करती है।

भारतीय संसद

हमारे देश में केन्द्र की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। संसद के दो सदन हैं।

1. **लोकसभा** – इसे निम्नसदन कहा जाता है।
2. **राज्यसभा** – इसे उच्चसदन कहा जाता है।

यद्यपि संसद के दो सदन हैं, परन्तु भारतीय राष्ट्रपति भी इसके अभिन्न अंग है। इस प्रकार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं।

लोकसभा

लोकसभा हमारे देश की संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 है। इसके सदस्यों का निर्वाचन संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। लोकसभा में मध्यप्रदेश से 29 सदस्य निर्वाचित होकर जाते है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो लोकसभा के लिए मतदान कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उसे समय से पूर्व भंग कर सकते है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य हैं–

लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यताएँ

- **वह भारत का नागरिक हो**
- **उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो**
- **वह केन्द्र या प्रांत सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।**
- **उसे किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित न किया हो।**
- **उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।**

- सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करना।
- सदन की कार्यवाही को संचालित करना।
- सदन में शांति–व्यवस्था स्थापित करना।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारण करना।
- लोकसभा की समितियों का गठन करना।
- लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना।
- सदन में किसी विषय पर होने वाले विचार–विमर्श के लिए समय निर्धारित करना।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता तथा सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

लोकसभा की शक्तियाँ – लोकसभा की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं –

- **विधायी शक्ति** – लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है। संविधान के अनुसार विधि निर्माण में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर हैं परन्तु व्यवहार में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। साधारण रूप से समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते है।
- **वित्तीय शक्ति** – संविधान के द्वारा वित्तीय मामलों में लोकसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं – यद्यपि वित्त विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते है पर राज्यसभा के द्वारा धन विधेयकों पर 14 दिन के अन्दर स्वीकृति देना होती है।
- **कार्यपालिका पर नियंत्रण** – संविधान के अनुसार मंत्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमण्डल तब तक ही क्रियाशील रह सकता है जब तक लोकसभा का उसमें विश्वास है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, शासकीय नीतियों पर कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव रखकर सरकार पर नियंत्रण रखता है।
- **संविधान में संशोधन** – लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है।
- **राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति का चुनाव** – राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें

संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य होते हैं। इसी तरह लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।

- **जनता के विचारों का मंच** – लोकसभा चूंकि जनता के चुने हुए लोगों का सदन है अत: इसके सदस्यों द्वारा व्यक्त किए विचार जनता के विचार माने जाते है। लोकसभा जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं का दर्पण है।

- **विविध कार्य** – लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकती है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के पारित प्रस्ताव पर चर्चा करती है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरूद्ध महाभियोग प्रस्तावों पर चर्चा करती है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए संकटकाल की पुष्टि एक माह के भीतर लोकसभा द्वारा होना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसी घोषणा स्वत: रद्द हो जावेगी।

राज्य सभा

भारतीय संसद के दूसरे सदन का नाम राज्यसभा है। इसे संसद का उच्चसदन भी कहा जाता है यह स्थायी सदन है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। उसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। शेष 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के परामर्श से करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, संस्कृति, समाजसेवा या सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते है। मध्यप्रदेश से राज्यसभा के 11 सदस्य हैं।

सदस्यों की योग्यताएँ – राज्यसभा की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएँ हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि जहाँ लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है वहीं राज्यसभा के लिए यह आयु 30 वर्ष है।

सदस्यों की निर्वाचन पद्धति व कार्यकाल – राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। उसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते है तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। उस पद्धति से राज्य सभा के कार्यकाल में निरन्तरता बनी रहती है।

राज्य सभा के दो पदाधिकारी होते है – 1. सभापति, 2. उप सभापति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते है। राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति चुनते है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभापति का कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा सदन का कार्य संचालन है। सभापति की अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति करते हैं।

राज्यसभा की शक्तियाँ

राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर साधारणतया: लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।

- **विधायी शक्ति** – राज्यसभा को लोकसभा के समान विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु जब तक दोनों सदन उस विधेयक को पारित नहीं करते वह कानून नहीं बन पाता।

- **वित्तीय शक्तियाँ** – कोई भी वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ नहीं के बराबर हैं। कोई भी धन विधेयक लोकसभा के उपरांत राज्यसभा में केवल विचार के लिए भेजा जाता है जहाँ उसे 14 दिनों के भीतर पारित करना होता है।

- **कार्यपालिका पर नियंत्रण** – राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहस करके मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण रखते हैं।
- राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के समान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है।
- राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की पुष्टि राज्यसभा द्वारा भी एक माह के भीतर होना आवश्यक है।
- राज्यसभा को दो विशेष अधिकार है जो लोकसभा को नहीं है।
  (क) राज्यसभा एक तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है ऐसी अवस्था में उस राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
  (ब) राज्यसभा उपस्थित और मतदेने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर प्रतीत होती हैं, परन्तु व्यवहार में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि –

1. मंत्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
2. वित्त विधेयकों के मामले में लोकसभा शक्तिशाली है।

भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया

संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, देश के लिए विधि का निर्माण करना है। संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची एवं संकटकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

विधेयक दो प्रकार के होते हैं –

1. साधारण विधेयक 2. वित्त विधेयक

साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं किन्तु वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

विधेयक पारित होने की प्रक्रिया

1. **प्रथम वाचन या विधेयक का प्रस्तुतीकरण** – संसद का कोई भी सदस्य एक माह की पूर्व सूचना पर लोकसभा/राज्यसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर विधेयक को प्रस्तुत करता है। प्रथम वाचन के समय केवल शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है। साधारणत: प्रथम वाचन पर कोई वादविवाद नहीं होता। विधेयक का प्रस्तुतीकरण ही प्रथम वाचन है।

2. **द्वितीय वाचन** – द्वितीय वाचन के शुरु होने के पूर्व विधेयक की प्रतियाँ सभी सदस्यों को वितरित की जाती हैं। इस स्तर पर विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार नहीं होता केवल मूल अवधारणा पर विचार होता है। उस अवसर पर कोई संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि आवश्यक समझा जाता है तो विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाता है।

3. **समिति अवस्था** – गहन विचार के लिए सदन को छोटी-छोटी समितियों में विभाजित किया जाता है। समिति के सदस्य विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर सूक्ष्मता से विचार करते हैं। समिति चाहे तो विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है। समिति को विधेयक में संशोधन करने का भी अधिकार है। पूर्णरूप से विचार उपरांत समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को (जैसी आवश्यकता हो) प्रस्तुत करती है।

4. **प्रतिवेदन स्तर** – समिति प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा विधेयक में जो संशोधन किया जाता है की प्रतियाँ सदन के सदस्यों को दी जाती है। सदन चाहे तो समिति के प्रतिवेदन को उसी स्वरुप में स्वीकार कर सकता है। सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। संशोधन से सम्बन्धित प्रत्येक धारा पर विचार -विमर्श तथा वाद-विवाद होता है। अंत में विधेयक पर मतदान होता है। यदि मतदान उपरांत विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह चरण पूर्ण हो जाता है।

5. **तृतीय वाचन** – प्रतिवेदन स्तर के उपरांत विधेयक पारित होने की अवस्था अंतिम अवस्था या तृतीय वाचन कहलाता है। उस स्तर पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार न होकर मूल भावना पर विचार होता है। इस अवस्था में विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विधेयक को सदन पारित कर देता है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति के हस्ताक्षर से विधेयक को प्रमाणित किया जाकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।

6. **विधेयक का दूसरे सदन में जाना** – किसी भी एक सदन में जब विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक उपरोक्त प्रक्रिया से ही गुजरता है।

7. **राष्ट्रपति की स्वीकृति** – संसद के दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत वह विधेयक कानून बन जाता है, तब उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। साधारण विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या उसे पुनर्विचार हेतु सदनों को वापिस भेज सकते हैं। परन्तु यदि दोनों सदन पुन: विधेयक को पारित कर देते हैं तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है।

धन विधेयक

धन विधेयक साधारण विधेयक से भिन्न तरीके से पारित होते है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद धन विधेयक विचार के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को उसमें 14 दिवस में पारित करना होता है। धन विधेयक में राज्यसभा किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करती भी है तो यह विधेयक उसी रूप में पारित समझे जाते हैं जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ नगण्य हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने पर और राज्यसभा में विचार उपरांत लोकसभा अध्यक्ष वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करके (प्रमाणीकरण करके) राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार पारित वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

कार्यपालिका

कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के समस्त अंगों की कार्य कुशलता के लिए अंतिम रूप से कार्यपालिका ही उत्तरदायी है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका के दो स्वरूप है - सम्पूर्ण देश का शासन चलाने के लिए केन्द्रीय कार्यपालिका होती है जबकि राज्यों का शासन चलाने के लिए प्रांतीय कार्यपालिका होती है। केन्द्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सम्मिलित हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तथा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु थे।

राष्ट्रपति

भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल करता है। इस निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएँ

- **वह भारत का नागरिक हो**
- **उसकी आयु 35 वर्ष या उससे ज्यादा हो**
- **वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो**
- **वह संघ या राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।**

राष्ट्रपति की शक्तियाँ – संविधान के अनुसार केन्द्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करा सकेगा। संविधान संशोधन क्रमांक 42 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के परामर्श से ही कार्य करेगा और परामर्श मानना उनके लिए बाध्यकारी होगा।

राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियाँ हैं –

1. साधारण परिस्थितियों में अथवा शांतिकाल में शक्तियाँ।
2. असाधारण परिस्थितियों में अथवा आपातकालीन शक्तियाँ।

कार्यपालिका की शक्तियाँ

- **प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति** – लोकसभा निर्वाचन के उपरांत राष्ट्रपति बहुमत के साथ विजयी राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करके स्थिर शासन प्रदान कर सके। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

- **नियुक्ति सम्बन्धी कार्य** – प्रदेश के राज्यपालों, विदेशों में राजदूतों, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सहित देश के प्रमुख पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं।

- **विधायी शक्तियाँ** – राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं–

(अ) संसद के अधिवेशनों को आहूत करना (बुलाना), स्थगित करना तथा लोकसभा भंग करना।

(ब) प्रत्येक आम चुनावों के बाद, तथा प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अभिभाषण देना।

(स) राज्यसभा में कला, साहित्य, संगीत या अन्य विशेष योग्यताओं वाले 12 सदस्यों को नामजद करना।

(द) संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना।

(इ) संसद के विरामकाल में अध्यादेश जारी करना।

- **वित्तीय शक्तियाँ** – लोकसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्त विधेयकों पर उसकी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। देश के लिए वह प्रति वर्ष आय-व्यय पत्रक (बजट) प्रस्तुत कराता है।

- **न्यायिक शक्तियाँ** –

(अ) न्यायिक शक्तियाँ – भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चन्यायालयों के मुख्यन्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी है।

(ब) सैनिक शक्तियाँ – राष्ट्रपति भारत की सेनाओं (जल, थल, वायु) के सर्वोच्च सेनापति होते हैं।

(स) राजनयिक शक्तियाँ – विदेशों से आने वाले राज प्रमुखों, राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। विदेशों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशों से की जाने वाली संधियाँ एवं समझौते उन्हीं के नाम से किए जाते है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

1. देश पर बाह्य आक्रमण, देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर या वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। मंत्रिमण्डल की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं – ऐसी किसी भी घोषणा पर दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। इस अवस्था में संसद को सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संघ सरकार ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है।

2. राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा हैं, तब राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की स्वीकृति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी अधिसूचना पर दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। घोषणा अवधि में सम्बन्धित राज्य का सम्पूर्ण या आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। राज्य के शासन संचालन का अधिकार वह राज्यपाल को सौप सकता है। इस अवधि में प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में राज्यपाल उच्च न्यायालयों की शक्ति को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

3. जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है तो वह आर्थिक आपातकाल लागू कर सकता है।

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

शासन की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद में होती है जिसका वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद विशेष महत्व का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित करता है। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तब वह स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त कर स्थिर सरकार प्रदान कर सके।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ – शासन की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं क्योंकि वह मंत्रिपषिद का अध्यक्ष होता है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसकी शक्तियाँ असीमित हैं।

- **लोकसभा का नेता** – प्रधानमंत्री सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा सदन में करता है। सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक उसी के निर्देशन में तैयार होते हैं। वार्षिक बजट का निर्माण वही कराता है। अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य उसके निर्देशन में होते हैं।

- **मंत्रिपरिषद का गठन** – मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उस हेतु जो सूची तैयार की जाती है राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करते हैं।

- **मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन** – मंत्रियों के विभागों का बंटवारा/विभागों में परिवर्तन प्रधानमंत्री करता है। आवश्यकतानुसार वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है।

- **मंत्रियों के विभागों एवं कार्यों में हस्तक्षेप**– यद्यपि विभागों के मंत्री अपने–अपने विभागों के कार्यों को सरकारी नीतियों के अनुसार संचालित करते हैं तथापि प्रधानमंत्री आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कार्यों

में हस्तक्षेप कर सकता है। वह सम्बन्धित मंत्री को आवश्यक सुझाव/निर्देश/मार्गदर्शन दे सकता है।

- **मंत्रियों को हटाना –** मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री के विश्वास पर्यंत ही अपने पदों पर रह सकते हैं। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। मंत्री द्वारा त्यागपत्र न देने की अवस्था में वह राष्ट्रपति से सम्बन्धित मंत्री को बरखास्त करने (हटाने को) को कह सकता है।

- **मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना –** प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों की स्वीकृति प्रधानमंत्री देता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय साधारणतया सर्वसम्मति से लिए जाते है। मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिये जाते है। बहुमत का निर्णय सामूहिक निर्णय माना जाता है।

- **नियुक्ति संबंधी कार्य –** भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियाँ करने का अधिकार है। पर सभी नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। विदेशों में भारत के राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की नियुक्तियाँ व्यवहार में प्रधानमंत्री की अनुशंसा द्वारा ही की जाती है।

- **सरकार का अधिकृत प्रवक्ता –** प्रधानमंत्री देश एवं विदेश में सरकार का अधिकृत प्रवक्ता होता है।

- **आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री चुनाव –** प्रधानमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होता है। प्राय: आम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़े जाते हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक है।

मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल

मंत्रिपरिषद् का अधिक शक्तिशाली भाग परन्तु आकार में छोटा भाग मंत्रिमण्डल का होता है।

मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री एवं अन्य सभी मंत्री आते है। मंत्री तीन प्रकार के होते है – 1. केबिनेट मंत्री, 2. राज्यमंत्री व 3. उपमंत्री। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद् का प्रधान- प्रधानमंत्री होता है। शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् में होती है।

मंत्रिपरिषद् या मंत्रिमण्डल की विशेषताएँ

1. **प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता –** प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद् का मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद् की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। मंत्रियों का चयन, उनके मध्य विभागों का बंटवारा, उन्हें उनके पद से हटाना प्रधानमंत्री का ही अधिकार है। शासन की नीतियों के निर्धारण में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद् के सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते।

2. **सामूहिक उत्तरदायित्व –** मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए सिर्फ सम्बन्धित विभाग का मंत्री ही जवाबदार नहीं होता अपितु सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् उत्तरदायी होती है।

3. **गोपनीयता –** मंत्रिपरिषद की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहती है। कोई भी मंत्री इसे प्रगट नहीं कर सकता। मंत्री को अपने पद ग्रहण के पूर्व गोपनीयता की शपथ लेना पड़ती है।

मंत्रिमण्डल की शक्तियाँ

- **नीति निर्धारित करना –** देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक आदि समस्याओं का हल करने के लिए मंत्रिपरिषद् समस्त पहलुओं पर विचार करके नीति निर्धारित करता है।

- **नियुक्ति सम्बन्धी कार्य –** देश के भीतर एवं बाह्य महत्वपूर्ण पदों पर की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जैसे राजदूत, राज्यपाल विभिन्न आयोगों के सदस्य एवं अध्यक्ष, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति मंत्रिमण्डल

द्वारा की जाती है।

- **वित्त सम्बन्धी कार्य –** देश के आय व्यय पर मंत्रिमण्डल का नियंत्रण रहता है। वित्तमंत्री बजट तैयार करता है, मंत्रिमण्डल में प्रस्तुत करता है मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद उसे सदन में प्रस्तुत करता है। यदि बजट को लोकसभा स्वीकृति नहीं देती तो सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होता है।
- **राष्ट्रपति को परामर्श –** मंत्रिपरिषद् समय-समय पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है।

न्यायपालिका

न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में केन्द्र एवं राज्यों या इकाइयों के लिए पृथक-पृथक न्याय प्रणाली को न अपनाया जाकर एकीकृत न्यायप्रणाली को अपनाया गया है जिसे दिए गए चार्ट द्वारा दर्शाया गया है।

न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ संविधान की रक्षा करना भी है। वह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। यह देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। देश के सभी न्यायालय उसके अधीन है।

1. **न्यायाधीशों की संख्या –** संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

2. **न्यायाधीशों की नियुक्ति –** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन नियुक्तियों के पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते है।

3. **न्यायाधीशों की योग्यताएँ–** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्न योग्यताएँ होना चाहिए–

(अ) वह भारत का नागरिक हो।

(ब) वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के

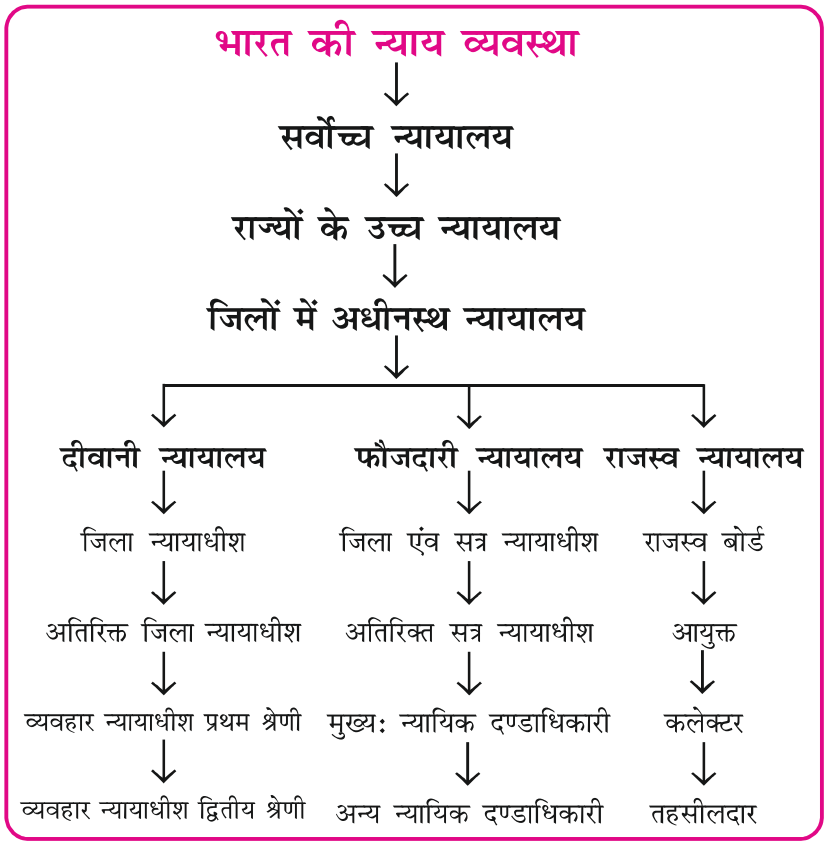

रूप में कार्य कर चुका हो अथवा किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो।

(स) राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कोई उत्कृष्ट विधि वेत्ता हो।

4. न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा उन पर महाभियोग – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। परन्तु वे चाहे तो समय से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी न्यायाधीश को दुराचारी या अयोग्य घोषित करके राष्ट्रपति से उसे हटाने के लिए निवेदन करें तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दे सकता है।

5. न्यायाधीशों को वेतन भत्ते व पेंशन – न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का निश्चय संसद अपने कानून द्वारा करती है। वेतन के अतिरिक्त नियमानुसार मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, स्टाफ कार आदि सुविधाएँ भी दी जाती है। उन्हें नियमानुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा भी है।

6. न्यायाधीशों की उन्मुक्तियाँ – किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा माननीय न्यायाधीशों के कार्यों की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जा सकती। उनके किसी भी निर्णय के विरुद्ध व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से यहाँ तक कि संसद या विधानमण्डल के किसी भी सदन में आलोचना नहीं की जा सकती।

7. न्यायाधीशों द्वारा शपथ लिया जाना – प्रत्येक न्यायाधीश को अपने पद ग्रहण के पूर्व संविधान द्वारा निर्धारित प्रारुप पर शपथ लेना पड़ती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं जबकि अन्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।

8. न्यायाधीशों पर प्रतिबंध – सेवानिवृत्त होने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में या अन्य पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं –

- **प्रारंभिक क्षेत्राधिकार** – ऐसे विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते केवल सर्वोच्च न्यायाल में ही प्रस्तुत होते है।

क. राज्यों के मध्य विवाद –

- संघीय सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- ऐसा विवाद जिसमें एक ओर संघीय शासन व एक या अधिक राज्य हों।
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।

ख. मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित विवाद – नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है।

- **अपीलीय क्षेत्राधिकार** – सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्न अपील सुनने का अधिकार है।

(क) संवैधानिक अपीलें (ख) दीवानी अपीलें

(ग) फौजदारी अपीलें (घ) विशेष अपीलें

- **परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार** – संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है।

4. न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार – सर्वोच्च न्यायालय को संसद एवं विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों एवं प्रशासकीय निर्देशों की वैधता को जांचने का अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधियों या नियमों की वैधता की जांच करता है कि ये नियम या विधियाँ संविधान के अनुसार है या नहीं। अपनी इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है।

5. अभिलेख न्यायालय – सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। उसके समस्त निर्णय एवं अभिलेख लिखित रहते हैं, प्रकाशित किए जाते है तथा इन्हें अभिलेख के रूप में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के सम्मुख इन निर्णयों को नजीर (उदाहरण) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय इन नजीरों को मानते हैं।

6. अन्य कार्य – सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त अधिकारों के अलावा निम्न कार्य भी करता है–

(अ) अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं जांच।

(ब) अपने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण उन्हें पदोन्नति तथा पदच्युत करना।

(स) न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दण्डित करने की शक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं व्यवहार से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए हैं।

13.5 राज्य का प्रशासन

संघीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें अपने–अपने निर्धारित क्षेत्र में विधायी कार्यपालिका एवं न्यायिक कार्य करती हैं।

विधान मण्डल – संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा विधान मण्डलों को मिलाकर बनेगा। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधान मण्डल है तथा कुछ राज्यों में एक सदनीय विधान मण्डल है। उत्तरप्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र में विधान मण्डल के दो सदन हैं। **मध्यप्रदेश में एक सदनीय विधान मण्डल है।** विधान मण्डल के प्रथम सदन को विधानसभा तथा द्वितीय सदन को विधान परिषद् कहते है।

विधानसभा का गठन – किसी राज्य की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 तथा कम से कम 60 सदस्य होते हैं। परन्तु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा अरुणाचलप्रदेश उसके अपवाद है। जिनके विधान मण्डलों की संख्या 60 से कम है।

1. मध्यप्रदेश विधान सभा का गठन तथा स्थान आरक्षण – मध्यप्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एव जनजाति सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं।

2. विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन – विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है – प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन के समय जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है।

3. मतदाताओं की योग्यताएँ –

(क) मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(ख) उस प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।

(ग) सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मतदान के लिए अयोग्य न घोषित किया गया हो।

4. प्रत्याशियों की योग्यताएँ – (क) भारत का नागरिक हो, (ख) कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, (ग) संघ या प्रांत में किसी लाभ के पद पर न हो, (घ) सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, (ङ) संसद एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

5. कार्यकाल – विधानसभा सदस्य का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है परन्तु राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानपरिषद एक स्थाई सदन होता है।

6. विधानसभा के अधिकार – विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विधानसभा की शक्तियाँ – राज्यों की विधानसभाओं को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है –

- **विधि निर्माण का कार्य** – राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के सभी विषयों पर विधान सभाओं को विधि निर्माण का अधिकार है – समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि पूर्व में ही संसद विधि बना चुकी है तो राज्य की विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून उसके प्रतिकूल नहीं हो सकता।
- **कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य** – विधानसभा का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद् को अपदस्थ कर सकती है। विधानसभा के विश्वासपर्यन्त ही मंत्रिमण्डल अपने पद पर रह सकता है।
- **वित्तीय कार्य** – राज्य विधानसभा को वित्तीय अधिकार हैं। कार्यपालिका विधानसभा की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगा सकती है और न ही कोई सार्वजनिक धन व्यय कर सकती है।
- **अन्य शक्तियाँ** – विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है। उसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधनों के लिए आधे से ज्यादा राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति आवश्यक है।

राज्य कार्यपालिका – संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी किन्तु व्यवहार में राज्यों के राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं। व्यवहार में राज्य का सम्पूर्ण प्रशासन मंत्रिपरिषद, जिसका कि मुखिया मुख्यमंत्री होता है, के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद अपने सम्पूर्ण कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद संभालते है।

राज्यपाल को राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलायी जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अवधि से पूर्व हटा सकता है। राज्यपालों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। उसके पदीय कार्यों के लिए उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं।

राज्यपाल पद की योग्यताएँ

- **वह भारत का नागरिक हो।**
- **उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो।**
- **वह संघ या राज्य में कहीं लाभ के पद पर न हो।**
- **वह संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य न हो।**

राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल की लगभग वही स्थिति होती हैं जो केन्द्र में राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं –

- **कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ –** मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रांत की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वह मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा मंत्रियों के बीच विभागों का बँटवारा करता है। राज्यपाल प्रदेश के महाधिवक्ता, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

- **विधायी शक्तियाँ –**

(अ) राज्यपाल विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। वह विधानसभा की बैठकों को बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता हैं तथा उन्हें विसर्जित करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग कर सकता है। निर्वाचन के उपरांत और फिर प्रत्येक वर्ष वह विधानसभा के अधिवेशन के प्रारम्भ में अपना अभिभाषण देता है। वह आवश्यकतानुसार विधानमण्डलों को अपना संदेश भेज सकता है।

(ब) विधान मण्डलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। वित्त विधेयकों के अतिरिक्त राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापिस विधानसभा में भेज सकता है। विधानसभा द्वारा पुनः विधेयक यदि पारित करके राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य है।

(स) अध्यादेश जारी करना – जब विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो चल रहा हो तथा आवश्यक होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर छः सप्ताह के भीतर विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है।

(द) वित्तीय शक्तियाँ – राज्य का बजट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत कराते हैं। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत कराते हैं।

(इ) अन्य शक्तियाँ – जब राज्यपाल को यह अनुभव होता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलना संभव नहीं हो रहा है तब वह राज्य में संविधान तंत्र की विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति राज्य में संकटकाल लागू करता है। ऐसी अवस्था होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

मुख्यमंत्री

राज्य मंत्रिमण्डल के प्रमुख को मुख्यमंत्री कहते है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ मुख्यमंत्री में रहती है। उसकी शक्तियाँ और कार्य निम्नानुसार हैं –

- **मंत्रिमण्डल का गठन –** मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करके नामों की सूची राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल उन्हें ही मंत्री नियुक्त करता हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों को उनके विभाग से सम्बन्धित कार्य के लिए निर्देश दे सकता है। जब कोई प्रकरण दो मंत्रियों से संबंधित हो तो मुख्यमंत्री आवश्यक निर्देश/मार्गदर्शन सम्बन्धित

मंत्रियों को देता है।

- **विधानसभा एवं राज्य का नेतृत्व** - मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। वह शासन की नीतियों की घोषणा सदन में करता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों के वक्तव्यों का स्पष्टीकरण देता है। राष्ट्रीय एवं अन्य स्थानों पर वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य का प्रधान प्रवक्ता होता है।
- **मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी** - मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों के सम्बन्ध में राज्यपाल को सूचना देता है।

मंत्रिपरिषद्

प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री होते हैं। मंत्रियों के तीन प्रकार है जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। मंत्रिपरिषद् की निम्न विशेषताएँ हैं -

- **सामूहिक उत्तरदायित्व** - मंत्रिपरिषद् के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते है। मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को सभी मंत्रियों को मानना पड़ता है। सदन में किसी एक विभाग या मंत्री के विरुद्ध निर्णय सारी मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध निर्णय माना जाता है।
- **शासन की नीतियाँ निर्धारित करना** - राज्य की समस्त नीतियों का निर्धारण, राज्य के लिए विकास योजनाएँ बनाना, राज्य के शांति एवं व्यवस्था कायम रखना तथा जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना मंत्रिपरिषद् के कार्य हैं।
- **विधायी शक्तियाँ** - संसदीय प्रणाली में मंत्रीमण्डल एवं व्यवस्थापिका परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहते है। इस कारण विधायी क्षेत्र में मंत्रिपरिषद शक्तिशाली है। जिन विषयों पर सरकार कानून बनाना चाहती है तब सम्बन्धित विधेयकों का प्रारूप मंत्रिमण्डल तैयार कर उन्हें विधानमण्डल में प्रस्तुत करता है तथा पारित कराता है।
- **वित्तीय शक्तियाँ** - राज्य के लिए वित्त नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद् करती है। वार्षिक बजट बनाना, तथा पारित कराने का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद् का है।

इस तरह स्पष्ट है कि राज्य की वास्तविक शक्ति राज्यपाल के हाथों में न होकर मंत्रिपषिद तथा उसके प्रमुख, मुख्यमंत्री के हाथ में रहती है।

न्यायपालिका - उच्च न्यायालय

संविधान के अनुसार संघ के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चन्यायालय होता है। संविधान के 24 वे संशोधन द्वारा संसद यदि चाहे तो विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्चन्यायालय की स्थापना कर सकती है।

मध्यप्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित हैं। जनता की सुविधा के लिए ग्वालियर एवं इंदौर में इसकी खण्डपीठ हैं।

उच्च न्यायालय का गठन

- **न्यायाधीशों की संख्या** - राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते है।
- **न्यायाधीशों की संख्या** - संविधान के अनुसार राज्यों के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या

राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

● **कार्य एवं वेतन व भत्ते** - उच्चन्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते है। वे चाहे तो समय से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग के आधार पर उन्हें पद से हटा सकता है। उनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद करती है। पद पर बने रहने के दौरान वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती।

● **न्यायाधीशों की योग्यताएँ** - वह भारत का नागरिक हो। उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। भारत क्षेत्र के किसी न्यायालय में जिला एवं सेशन जज होने का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो या वह किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्चन्यायालयों में निरन्तर 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति के विचार में ख्याति प्राप्त न्यायविद हो।

● **अन्य बातें** -

1. न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने के पूर्व अपने पद की शपथ लेना होती है।
2. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उच्चन्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्चन्यायालय से दूसरे उच्चन्यायालय में कर सकता है।
3. सेवानिवृत्ति उपरांत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस राज्य में न्यायाधीश रहा हो वहाँ तथा उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। किन्तु वे अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते है।
4. न्यायाधीश के कार्यें की आलोचना नही की जा सकती। संसद एवं विधान मण्डलों में इन न्यायालयों के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायालय की मानहानि करने वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय दण्डित करने का अधिकारी है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य

उच्च न्यायालयों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है।

● **प्रारंभिक क्षेत्राधिकार** - इसका आशय उन प्रकरणों से है जिन्हें केवल उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये हैं : -

(अ) संविधान से सम्बन्धित विवाद - संविधान के किसी अनुच्छेद से सम्बन्धित विवाद उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जाते है।

(ब) अपने किसी फैसले के विरूद्ध उच्चतम न्यायालयों में अपील किए जाने की अनुमति उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है।

(स) उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में यदि कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई बिन्दु है तो ऐसे प्रकरण को उच्च न्यायालय अपने यहाँ मंगाकर उसका निर्णय करता है।

मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित विवाद - उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते है।

● **अपीलीय क्षेत्राधिकार** - उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। ये अपीलें दो प्रकार की होती हैं -

1. दीवानी अपीलें 2. फौजदारी अपीलें

दीवानी अपीलों के अन्तर्गत जिला न्यायाधीशों के उन निर्णयों के विरुद्ध अपीले उच्च न्यायालय में की जा सकती है जहाँ प्रकरण एक मानक मूल्य से ज्यादा का हो। फौजदारी मामलों के अर्न्तगत किसी फौजदारी प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय में 10 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा दी हो या किसी को मृत्युदण्ड दिया हो तथा न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदण्ड का क्रियान्वयन तब ही हो सकता है जब उच्च न्यायालय उस सजा की पुष्टि कर दे।

- **प्रशासकीय क्षेत्राधिकार** – उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। वह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली तय कर सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति तथा सेवाशर्तों का निर्धारण करता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी प्रकरण को सीधे अपने यहाँ मंगा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार – उच्च न्यायालयों को उस बात की जांच करने (सुनवाई करने) का अधिकार है कि कोई केन्द्रीय विधि या राज्य की विधि या प्रशासकीय आदेश संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यदि न्यायालय यह अनुभव करते है कि सम्बन्धित विधेयक/आदेश संविधान विरुद्ध है तो वे उन्हें अवैध घोषित कर सकते है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रदेशों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तरह नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा संविधान के सरंक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता बनी रहे इस हेतु उन्हें कार्यपालिका तथा विधानमण्डल के प्रभाव से दूर रखा गया हैं।

13.6 स्थानीय प्रशासन

हमारे देश का प्रजातन्त्र इस अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को शासन कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। जनता की भागीदारी से लोकतन्त्र में स्थायित्व आता है। भारत गांवों का देश है और भारत की प्रगति के लिये गांवों का विकास आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन और विकास का दायित्व राज्य सरकारों पर निर्भर है। प्रदेश की राजधानी से कस्बे और ग्राम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं इस कारण राज्य सरकार द्वारा अपने कुछ अधिकार और कार्य स्थानीय प्रशासन को दिये गये हैं। प्रशासन को जनता के प्रति जागरूक बनाये रखने और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिये स्थानीय प्रशासन आवश्यक है।

भारत में शासन की प्रणाली केवल केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के स्तर तक ही सीमित नहीं है। अपितु स्थानीय शासन भी प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। किसी गांव या कस्बे की समस्याओं का सबसे अच्छा ज्ञान उसी गांव या कस्बे के निवासियों को होता है। स्थानीय स्वशासन का कार्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है।

भारतीय प्रशासन में संघीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन होता है। स्थानीय स्तर पर नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व स्थानीय शासन का है। स्थानीय स्वशासन का महत्व प्राचीन काल से ही मान्य है। यदि भारत के प्राचीन इतिहास का अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक काल में स्थानीय प्रशासन की सक्रियता रही है।

स्थानीय स्वशासन की उपयोगिता के दो कारण हैं। प्रथम – स्थानीय स्वशासन से स्थानीय स्तर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। द्वितीय – जनता की भागीदारी से सरकार को व्यापक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो उसको नीति बनाने में सहायक होती हैं।

ग्राम, कस्बे और नगरों की अनेक समस्याओं का संबंध नागरिक सुविधाओं से होता है, जैसे पानी की व्यवस्था,

गंदे पानी का निकास, सड़क, सफाई, कूड़े गन्दगी का हटाना, गन्दगी व महामारियों की रोकथाम आदि। जनसंख्या बढ़ने से गांव और शहर की समस्याएं विकराल होती जाती है। स्थानीय आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिये स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होती है। यह प्रशासन सम्बन्धित क्षेत्र के शासन के साथ मिलकर कार्य करता है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की व्यवस्था एक समान नहीं है। हमारे प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में स्थानीय शासन की संस्थायें तीन प्रकार की हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती हैं। नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम होते हैं। स्थानीय प्रशासन की यह इकाईयाँ जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नियन्त्रण में कार्य करती हैं। स्थानीय प्रशासन की यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के नाम से जानी जाती हैं।

ग्रामीण भारत के लिये पंचायती राज व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामों में साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोशनी, पीने का पानी आदि सुवधिाओं के लिये ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। यदि गांव छोटे हैं तो वहाँ दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने गांवों का प्रबन्ध स्वयं करते हैं। गांव के लिये यह व्यवस्था पंचायत राज व्यवस्था के नाम से विख्यात है। महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के बड़े पक्षधर थे। वे यह मानते थे कि जब तक भारत के ग्रामों में जीवन का आधार लोकतान्त्रिक नहीं होगा तब तक देश में वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना नहीं होगी। देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय शासन की स्थापना उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार की गई है। इस कारण सभी राज्यों के स्थानीय शासन समान न होकर भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा निम्न प्रकार का है -

भारत में पंचायती राज व्यवस्था

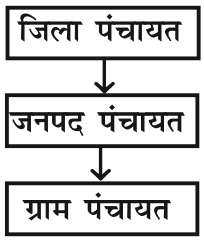

1. ग्रामों के लिये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत
2. प्रत्येक विकास खण्ड के लिये जनपद पंचायत
3. प्रत्येक जिले के लिये जिला पंचायत

इस प्रकार पंचायतों के तीन स्तर हैं।

ग्राम सभा - प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। इस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होती हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। यदि किसी कारण से सरपंच बैठक में न हो तो उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा में पंचायत की लेखाओं के वार्षिक विवरण, बजट, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत की जाती हैं। ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के लिये विकास की नवीन योजनायें सुझाई जाती हैं।

1. ग्राम पंचायत - स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम दस वार्डों में बाँटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से मतदाता एक पंच को चुनते हैं। सरपंच का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होता है। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होते हैं। सरपंच को ग्राम

पंचायत का प्रधान कहा जाता है। पंचायत बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

ग्राम पंचायत के कार्य – ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव में साफ-सफाई, सड़कों, कूओं और तालाबों का निर्माण करना है। गांवों में प्रकाश की व्यवस्था भी ग्राम-पंचायतें करती हैं। ग्रामों में लगने वाले मेले, हाट बाजार आदि की व्यवस्था भी वही देखती हैं। जन्म-मृत्यु पंजीयन, संक्रामक रोगों के टीके लगवाना आदि कार्य भी उनके ही हैं।

2. जनपद पंचायत – प्रत्येक जिला विकास खण्डों में विभाजित होता है। प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक जनपद पंचायत होती है। विकास खण्ड को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या यथा सम्भव 5 हजार होती है। विकास खण्ड 10 से 25 निर्वाचन क्षेत्र में बँटे होते हैं। इन क्षेत्रों से 1-1 प्रत्याशी निर्वाचित होता है। जनपद पंचायत में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। जनपद पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष है।

जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जनपद सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिये अनु.जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त है।

जनपद पंचायत के कार्य

प्रत्येक जनपद पंचायत अपने-अपने ब्लॉक/खण्ड में एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, युवा एवं बाल कल्याण, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करती हैं। बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करती हैं। सामाजिक मेले, तीज त्यौहार आदि के आयोजनों की व्यवस्था भी जनपद पंचायत करती हैं।

3. जिला पंचायत – ग्रामीण स्थानीय शासन की शीर्ष इकाई जिला पंचायत होती है। यह जिला स्तर का ऐसा स्थानीय निकाय है जो जिले में विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन में पर्यवेक्षकीय भूमिका का निर्वाह करता है। राज्य सरकार द्वारा यथा सम्भव 50,000 जनसंख्या के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होता है। जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 35 हो सकती है। जिला पंचायत में अनु.जाति एवं जनजाति के लिये स्थान जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहते हैं। जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त है। जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है।

प्रत्येक जिला पंचायत का गठन नीचे लिखे प्रतिनिधियों से मिलकर होता है –

1. जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य
2. जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी तथा विकास बैंक का अध्यक्ष
3. लोकसभा सदस्य जो उस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं
4. प्रदेश से निर्वाचित राज्य सभा सदस्य यदि उनका नाम उस जिले की किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हो
5. उस जिले से निर्वाचित सभी विधान सभा सदस्य।

जिला पंचायत के कार्य

1. जिले की जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियन्त्रण रखना, उनके मध्य समन्वय करना और उनका मार्गदर्शन करना।

2. जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना।

3. विशेष प्रयोजनों के लिये जनपद पंचायतों द्वारा की गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुँचाना।

4. जिले की ऐसी योजनाओं को जो दो से अधिक जनपद पंचायतों में हों का निष्पादन करना।

5. विकास संबंधी क्रियाकलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण तथा बाल कल्याण और खेलकूद के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।

6. राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्य करना।

हमारे देश के संविधान में 73 वाँ संविधान संशोधन स्थानीय शासन के लिये एक क्रान्तिकारी कदम है। अब दूर दराज के गांवों में रहने वाले भी उन योजनाओं के निर्माण, निर्णय-प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन में भाग लेते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। पंचायतें राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रमुख एजेंन्ट (अभिकर्ता) की भूमिका निभाती हैं। भारत में पंचायतों के निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक व्यवस्था है। ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह समन्वय की भावना के साथ अच्छा कार्य कर सकती है। पंचायती राज की संस्थाओं में अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार गांव के सामाजिक ढांचे में दूरगामी परिवर्तन के लिए प्रयास किये गये हैं।

पंचायतों की गतिविधियों से ज्ञात होता है कि विभिन्न वर्गों की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित है परन्तु उनकी स्वतन्त्रता और प्रभावकारिता अभी उतनी नहीं है जितनी होना चाहिये। पंचायत प्रतिनिधियों के नियमित शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनतन्त्र की आधारशिला के रूप में पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है। पंचायतों को अधिक अधिकार और आर्थिक शक्तियों की आवश्यकता है। जनमत की जागरूकता और जनता की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीणों को स्थानीय प्रशासन से अधिक लाभ हो सकता है।

नगरीय प्रशासन

2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या लगभग 121.6 करोड़ हैं। जिसमें से लगभग 68.8 प्रतिशत ग्रामीण तथा 31.2 प्रतिशत शहरी आबादी है। हमारे कस्बों तथा शहरों के लिये स्थानीय शहरी निकायों की स्थापना की गई है। यह निकाय अपने क्षेत्र में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, नाली, कूड़े का प्रबन्ध तथा सफाई व प्रकाश इत्यादि समस्याओं का समाधान करते हैं। यह स्थानीय निकाय जनतांत्रिक होते हैं। इन निकायों में स्थानीय नागरिक सीधी चुनाव पद्धति से निर्वाचित होते हैं।

स्थानीय शहरी निकायों के प्रकार

भारत के प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित नगरीय स्वायत्त निकाय हैं।

क. नगर पंचायत

ख. नगर पालिका

ग. नगर निगम

नगर पंचायत

जो क्षेत्र ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में बदल रहे होते हैं वहाँ नगर पंचायतें गठित होती हैं। ऐसे स्थानों पर शहर और गांव का मिला जुला रूप होता है तथा आबादी भी बहुत अधिक नहीं होती है। नगर पंचायतों को वार्डों में बांटा जाता है। नगर पंचायत में न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 वार्ड होते हैं, नगर पंचायतों में एक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के पदों में अनु.जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था है।

नगरपालिका

प्रदेश में छोटे शहरों में नगरपालिका होती है। नगरपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक शहर को वार्डों में बाँटा जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक प्रत्याशी निर्वाचित होता है। उस वार्ड में रहने वाला और मतदाता सूची में जिसका नाम है ऐसे प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। नगर पालिका पार्षद की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। नगर पालिका का एक अध्यक्ष होता है, इसका निर्वाचन भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। नगर पालिका सदस्य और अध्यक्ष के पद के लिये अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक नगर पालिका का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है इसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी कहते हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारियों पर प्रशासकीय नियन्त्रण मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होता है।

नगर निगम

बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को नगरनिगम कहा जाता है। भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर आदि बड़े शहरों में नगरनिगम हैं। राज्य विधान मण्डल द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किस शहर में नगर निगम होगा। नगर निगम सीधे राज्य सरकार के सम्पर्क में होता है। नगर निगम का महत्वपूर्ण अंग उसकी परिषद होती है। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक नगर निगम छोटे-छोटे वार्डों में विभाजित होता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। नगर निगम में एक महापौर (मेयर) होता है। मध्यप्रदेश के नगर निगम महापौर का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आयुक्त होता है जो प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति होता है। नगर निगम को राज्य शासन से धन दिया जाता है। साथ ही निगम को अनेक क्षेत्रों में कर लगाने का अधिकार है। जल कर, सम्पत्ति कर, चुंगी कर आदि कर नगर निगम लगाता है।

स्थानीय संस्थाओं के कार्य

नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के कार्य समान ही हैं तीनों संस्थायें अपने-अपने क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य करती हैं -

1. सड़कों, सार्वजनिक भवनों में प्रकाश व्यवस्था करना।
2. नगर की साफ-सफाई कराना।
3. कांजी हाऊस खोलना और उनका प्रबन्ध करना।
4. जन्म-मृत्यु पंजीयन।
5. पानी की व्यवस्था।
6. मकान, सड़क आदि की व्यवस्था।
7. अग्निशामक यंत्र आदि से आग लगने पर सहायता करना।
8. जनता के मनोरंजन हेतु मेलों आदि का आयोजन करना।।

स्थानीय शहरी निकाय नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधायें देता है। यह नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

संसद – भारतीय संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को मिलाकर संसद कहा जाता है।

मंत्रि परिषद – सभी मन्त्रियों के समूह को मन्त्रिपरिषद् कहा जाता है।

विधि निर्माण – कानून बनाना।

विधेयक – संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि निर्माण हेतु प्रान्तीय संघीय कानून की रूपरेखा।

एक सदनीय – जिस व्यवस्थापिका में एक सदन होता है उसे एक सदनीय व्यवस्थापिका कहा जाता है।

महाधिवक्ता – राज्य सरकार को समस्त कानूनी सलाह देने वाला विधि वक्ता।

विराम काल – जब संसद के सदनों की बैठक न चल रही हो।

आय व्यय पत्रक – बजट या आय और व्यय का विवरण पत्र।

प्रवर समिति – लोक सभा अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा जब कोई विधेयक परीक्षण के लिये जिस समिति को सौंपा जाता है उसे प्रवर समिति कहते हैं।

नियत कालिक – एक निर्धारित अवधि के उपरांत ।

पार्षद – नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि।

अभ्यास

सही विकल्प चुनिए –

1. मध्यप्रदेश की विधान सभा की सदस्य संख्या है –
   (i) 320 (ii) 270
   (iii) 250 (iv) 230
2. राज्य सभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसे है–
   (i) राष्ट्रपति को (ii) प्रधानमंत्री को
   (iii) राज्यपाल को (iv) सर्वोच्च न्यायालय को
3. राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार इनमें से किसे है –
   (i) राज्यपाल (ii) गृह मन्त्री
   (iii) मुख्यमंत्री (iv) राष्ट्रपति
4. राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग रहता है –
   (i) संसद (ii) विधान सभा
   (iii) न्यायपालिका (iv) राज्य सभा

अति लघुउत्तरीय प्रश्न –

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
2. लोक सभा की सदस्य संख्या मध्यप्रदेश में कितनी है?
3. लोक सभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?

लघुउत्तरीय प्रश्न –

1. लोक सभा के सदस्य की योग्यताएँ लिखिए।
2. जिला पंचायत के कार्य लिखिए।
3. प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए।
4. राज्य सभा के कार्य लिखिए।
5. राज्यपाल के चार कार्य लिखिए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न–

1. संघात्मक शासन की विशेषताओं का वर्णन करिए।
2. केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? समझाइए।
3. संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
4. राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए।
5. मंत्रीपरिषद् के कार्यों का वर्णन कीजिए।
6. सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करिए।
7. पंचायती राज्य व्यवस्था को समझाते हुए स्थानीय संस्थाओं के कार्यो का वर्णन कीजिए।